न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण, श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी– अजय कुमार भोजक, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)(अतिरिक्त कार्यभार)

सेशन प्रकरण संख्या – 32 सन् 2024

CIS Reg, No.- Session Case/32/2024

CNR No. - RJSG060001932024

राजस्थान राज्य

विरूद्ध

नरसीराम पुत्र गोपीराम निवासी –2 केएसएम ढाणी गांव बान्डा पुलिस थाना– अनूपगढ़ जिला–श्रीगंगानगर।

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी विकल्प में 302 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः–

1– श्री नितिन वॉटस, विशिष्ट लोक अभियोजक राजस्थान राज्य।

2– श्री जसवीर मिशन, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त।

निर्णय **दिनांकः 16.03.2026**

01– अभियुक्त नरसीराम के विरूद्ध पुलिस थाना अनूपगढ़ की ओर से अपराध अन्तर्गत धारा–304 बी, 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोपपत्र योग्य अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण अनन्यतः विशिष्ट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने के कारण प्रकरण को धारा 209 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय को सुपुर्द किये जाने पर दिनांक–11.06.2024 को पंजीबद्ध किया गया।

02– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक–02.07.2023 को प्रार्थी महावीर ने टाईपशुदा एक प्रार्थनापत्र पुलिस थाना अनूपगढ़ में इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी, करड़वाला तहसील–रायसिंहनगर जिला–श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी की पुत्री रेणु देवी उम्र–25 साल की शादी करीब 02 वर्ष पूर्व चक 2 केएएम ढाणी के नरसीराम पुत्री गोपीराम के साथ हुई

थी। शादी के बाद दो तीन महीने उसकी पुत्री रेणु को ठीक रखा, उसके बाद रेणु का पति नरसीराम, सास सुंदर देवी, ससुर गोपीराम, जेठ सुभाष व सुनील रेणु से दहेज में एक मोटरसाईकिल व एक लाख रूपये की मांग को लेकर मारपीट करते, उसके बाल पकड़कर घसीटते, उसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करते। रेणु ने उक्त बातें उसे बताई तो उसने पंचायत की। पंचायत में सभी मुलजिमान ने कहा कि अब रेणु को दहेज के लिये परेशान नही करेंगे, जिस पर उसने रेणु को उसके ससुराल भेज दिया। शादी के बाद रेणु के एक पुत्री पैदा हुई। रेणु को ससुराल भेजने के बाद रेणु के दो तीन फोन आये व कहा कि उसकी सास, ससुर, पति व जेठ उससे दहेज मे मोटरसाईकिल व एक लाख रूपये की मांग कर रहे है। दिनांक–30.06.2023 को उसके पास रेणु का फोन आया कि उसका पति, सास, ससुर व दोनो जेठ एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल की मांग को लेकर मारपीट कर रहे हैं तथा मांग पूरी न करने पर वे उसको (रेणु को) जहर पिला कर मार देंगे। प्रार्थी ने रेणु से अगले दिन पंचयायत के साथ चक 2 केएएम ढाणी आने का कहा। दिनांक–01.07.2023 को उसके पास फोन आया कि उसकी बेटी को जहर पिलाकर मार दिया है। इस पर प्रार्थी गांव के मौजिज व्यक्तियों को लेकर अनूपगढ़ अस्पताल पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी रेणु को जहर पिलाया हुआ था, उसके मुंह में झाग आ रहे थे। प्रार्थी ने रेणु के पति, नरसीराम, ससुर गोपीराम, सास सुंदर देवी, जेठ सुनील कुमार व सुभाष से इस बाबत पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी दहेज की मांग पूरी नही की तो हमने रेणु को जहर पिलाकर मार दिया, आपको जो करना है, कर लो, आदि–आदि। उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर पुलिस थाना अनूपगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–445/2023 अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गई।

03– दौराने अनुसंधान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका व हालात मौका तैयार किया, वजह सबूत एक कांच की बोतल जिसमें भरा तरल पदार्थ बरंग हल्का पीला को जरिये फर्द जब्त किया, फर्द सूरत हाल लाश एवं पंचनामा मृतका श्रीमती रेणु तैयार किया, दो टोप्स, तीन बाली स्वर्ण जैसी धातु की, एक पायल

जोड़ी, एक बिछिया की जोड़ी, मंगलसूत्र चांदी जैसी धातु का जो हरी माला में पिरोई हुआ है, को जरिये फर्द जब्त किया, मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर लाश उसके ससुर व पति के सुपुर्द की गई, अभियुक्त नरसीराम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया तथा साक्षीगण के बयान उनके कहेअनुसार लेखबद्ध किये गये व बाद तफ्तीश अभियुक्त नरसीराम के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04– बहस आरोप उभय पक्ष सुनने के पश्चात् अभियुक्त नरसीराम के विरूद्ध धारा–498ए, 304बी विकल्प में धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझ कर आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05– अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में अभियोजन साक्षी पी.ड.–1 धर्मपाल, पी.ड.–2 महावीर प्रसाद, पी.ड.–3 मदनलाल, पी.ड.–4 संतरो देवी, पी.ड.–5 तीर्थसिंह, पी.ड.–6 निहालचंद, पी.ड.–7 हेतराम, पी.ड.–8 सुनील, पी.ड.–9 दिनेश कुमार, पी.ड.–10 मांगूराम, पी.ड.–11 रामकुमार, पी.ड.–12 हेतराम, पी.ड.–13 रेवंताराम, पी.ड.–14 वेदप्रकाश, पी.ड.–15 लक्ष्मणराम, पी.ड.–16 साहबराम, पी.ड.–17 मुखराम, पी.ड.–18 गोपीराम व पी.ड.–19 रामावतार को परीक्षित करवाया गया। मुख्य गवाह परिवादी महावीर प्रसाद व अन्य साक्षीगण के पक्षद्रोही होने से शेष साक्षीगण को तर्क कर विशिष्ट लोक अभियोजक ने अभियोजन साक्ष्य समाप्त की तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रलेख प्रदर्शपी–01 से प्रदर्शपी–24 को प्रदर्शित करवाया गया।

06– अभियुक्त नरसीराम के कथन अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया कि गवाह रंजिशवश झूठ बोलते है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शडी–1 से प्रदर्शडी–4 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

07– बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्न हैंः–

1. आया अभियुक्त नरसीराम ने परिवादी महावीर की पुत्री/मृतका रेणु, जिसका विवाह अभियुक्त के साथ परिवादी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत करने की दिनांक–02.07.2023 से दो वर्ष पूर्व होने के पश्चात् से लेकर दिनांक–01.07.2023 से पूर्व तक अभियुक्त के रिहायशी मकान चक 2 केएसएम ढाणी गांव बान्डा पुलिस थाना अनूपगढ़ में मृतका रेणु से दहेज में एक लाख रूपये नकद व मोटरसाईकिल की माँग को लेकर उसे तंग, परेशान कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया?
2. आया उक्त समय व स्थान पर किसी समय पर अभियुक्त नरसीराम के रिहायशी मकान चक 2 केएसएम ढाणी गांव बान्डा पुलिस थाना अनूपगढ़ में अभियुक्त की पत्नी रेणु जिसका विवाह अभियुक्त के साथ परिवादी महावीर द्वारा प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक–02.07.23 से सात वर्ष के भीतर हुआ था और जिसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न कीटनाशक पीने से दहेज की मांग को लेकर परेशान किये जाने के कारण और अभियुक्त द्वारा किये गये निर्दयतापूर्वक व्यवहार के कारण दिनांक–01.07.2023 को कारित हुई?

<u>विकल्प में</u>

आया दिनांक–01.07.2023 को किसी समय, वाके अभियुक्त के रिहायशी मकान चक 2 केएसएम ढाणी गांव बान्डा पुलिस थाना अनूपगढ़ में अभियुक्त ने अपनी पत्नी /परिवादी की पुत्री रेणु की मृत्यु कारित करने के आशय से मृतका रेणु को कीटनाशक पिला दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई?

3. यदि हां, तो उसके लिये समुचित दण्ड क्या होगा ?

08– विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान समरूप तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के

आधार पर अभियुक्त नरसीराम के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे साबित है अतः उन्होंने अभियुक्त नरसीराम को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मृतका का पिता महावीर प्रसाद, मृतका की माता संतरोदेवी, मृतका का चाचा धर्मपाल, मृतका का भाई मदनलाल, मृतका का मामा रामकुमार, मृतका का दादा हेतराम, मृतका का फूफा रेवंताराम व अन्य स्वतंत्र साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुये है, जिन्होनें अभियोजन कहानी की ताईद नही की है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को संदेह से परे साबित नही कर पाया है। अतः उन्होनें अभियुक्त को आरोपित आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

09– उभय पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात पत्रावली पर प्रस्तुत हुई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया जाना भी आवश्यक है–

<u>विचारणीय बिंदु संख्या–1 व 2</u>

इस प्रकरण में अभियुक्त नरसीराम के विरूद्ध धारा–498ए, 304 बी विकल्प में धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। जिसे साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में कुल 19 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाये गये है। जहां तक रेणु की मृत्यु की प्रकृति का प्रश्न है इस सम्बंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने रेणु द्वारा खेत में कीटनाशक पदार्थ स्प्रे करते समय स्प्रे चढ़ जाने रेणु की मृत्यु होने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द पंचनामा मृतका रेणु प्रदर्शपी–10 में यह अंकित किया गया है कि सभी पंचान ने आपसी राय मशवरा कर मृतका की मृत्यु कीटनाशक से होना बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी–24 में भी मत्यु का कारण जानने के लिये विसरा के केमीकल विश्लेषण हेतु एफएसएल की राय जानने का अंकन किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.ड.–19 रामावतार तत्कालीन

मालखाना प्रभारी ने उक्त विसरा सील्ड अवस्था में मालखाना में जमा करने के पश्चात एफएसएल जांच हेतु कैरियर शैलेन्द्र कुमार द्वारा एफएसएल बीकानेर में जमा करवाये जाने का कथन किया है। एफएसएल रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इसमें organophosphorous Insecticide का test positive पाया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर इस तथ्य के सम्बंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि रेणु की मृत्यु कीटनाशक पदार्थ के सेवन से हुई है। अभियुक्त की ओर से भी रेणु की मृत्यु कीटनाशक पदार्थ के सेवन से होने के तथ्य को विवादित नही किया गया है। सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत Maya Devi & Anr. Vs State of Haryana, Criminal Appeal Number 1263 of 2011, Decided on 07.12.2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धरित किया गया है कि मृत्यु चाहे homicidal or suicidal or accidental हो, दहेज मृत्यु की परिधि के अंतर्गत आती है बशर्ते धारा –304 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के गठन के लिये आवश्यक अन्य तत्व भी साबित हो जाते है।

10– अभियोजन पक्ष के मामले और अभियुक्त द्वारा ली गई प्रतिरक्षा का विश्लेषण किये जाने से पूर्व यहां भारतीय दण्ड संहिता की धारा –304 बी व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–113 बी के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है–

Section 304B of Indian Penal Code:

> "**304B.** Dowry death.—(1) Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called 'dowry death', and such husband or relative shall be deemed to have caused her death.
>
> *Explanation*.—For the purpose of this sub–section, 'dowry' shall have the same meaning as in Section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

(2) ... ...

113B of the Evidence Act, 1872:
"**113–B. Presumption as to dowry death**.—When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the Court shall presume that such person had caused the dowry death.
Explanation.—For the purposes of this section, 'dowry death' shall have the same meaning as in Section 304B of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304बी में वर्णित प्रावधान से यह स्पष्ट है कि उक्त धारा मे अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने के लिये निम्नलिखित बिंदु साबित करने आवश्यक हैं–

(*i*) the death of a woman must have been caused by burns or bodily injury or otherwise than under normal circumstances;
(*ii*) such death must have occurred within seven years of her marriage;
(*iii*) soon before her death, the woman must have been subjected to cruelty or harassment by her husband or any relatives of her husband;
(*iv*) such cruelty or harassment must be for, or in connection with, demand for dowry.

जब उपर्युक्त तथ्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य से प्रमाणित हो जाते हैं तो ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाती है और पति या उसका नातेदार दहेज मृत्यु कारित करने वाला समझा जाता है। ऐसी दशा में न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित होने की उपधारणा करेगा जब तक की अभियुक्त के द्वारा उनको नासाबित नही कर दिया जाता है। यद्यपि अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये गये उत्तर अथवा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश कर उक्त भार से उन्मोचित हो सकता है।

11– प्रकरण में स्वीकृत रूप से एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि रेणु का विवाह अभियुक्त नरसीराम के साथ, परिवादी महावीर द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की दिनांक–02.07.2023 से दो वर्ष पूर्व हुआ, जिसकी मृत्यु विवाह के 07 वर्ष के भीतर दिनांक–01.07.2023 को हुई और उक्त मृत्यु का कारण कीटनाशक/स्प्रे का सेवन था। इस प्रकार मृतका की मृत्यु विवाह के 07 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई है। इन तथ्यों को अभियुक्त की ओर से विवादित भी नही किया गया है।

12– **अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त के द्वारा रेणु की मृत्यु के कुछ पूर्व (Soon before death) दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की गई अथवा उसको तंग परेशान किया गया?**

13– उपर्युक्त बिंदु के संदर्भ में पत्रावली पर जो साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें स्वयं परिवादी व मृतका का पिता पी.ड.–2 महावीर प्रसाद, मृतका की माता पी.ड.–4 संतरोदेवी, मृतका का चाचा पी.ड.–1 धर्मपाल व मृतका का भाई पी.ड.–3 मदनलाल द्वारा मृतका रेणु से अभियुक्त नरसीराम व उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग किये जाने के तथ्य से स्पष्ट इंकार करते हुये रेणु द्वारा खेत में स्प्रे करते समय स्प्रे चढ़ जाने से रेणु की मृत्यु होना व गलतफहमी में नरसीराम के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जाना कथन किया है। साक्षीगण द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नही करने पर विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी पी.ड.–2 महावीर प्रसाद ने अपने **प्रतिपरीक्षा** में प्रार्थनापत्र प्रदर्शपी–2 में अंकित तथ्यों से अनभिज्ञता जाहिर करते हुये नक्शामौका उसके समक्ष बनाये जाने से स्पष्ट इंकार की है, साथ ही पुलिसवालों द्वारा खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाया जाना भी कथन किया है। साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया है कि उसने मर्ग रिपोर्ट में यह लिखवाया था कि रेणु की मृत्यु स्प्रे चढ़ने से हो गई है। उनके द्वारा गलतफहमी में मुकदमा दर्ज करवाने के पश्चात पुलिस उपअधीक्षक अनूपगढ़ को गलतफहमी में मुकदमा दर्ज करवाने हेतु प्रार्थनापत्र

प्रदर्शडी–3 दिया था, तत्पश्चात एक राजीनामा स्वरूप शपथपत्र प्रदर्शडी–4 तैयार किया था, जिन पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी मृतका का मामा पी.ड.–11 रामकुमार, मृतका का दादा पी.ड.–12 हेतराम व मृतका का फूफा पी.ड–13 रेवंताराम पक्षद्रोही रहे हैं जिन्होंने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से मृतका रेणु से अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग नही करना व मृतका द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने व चयन नही होने से अवसाद में होने के कारण उसके द्वारा आत्महत्या किया जाना कथन किया है। उक्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

15– अन्य स्वतंत्र साक्षी अभियुक्त नरसीराम के खेत पड़ौसी पी.ड.–5 तीर्थसिंह, पी.ड.–6 निहालचंद व पी.ड.–7 हेतराम ने अपने–अपने बयानों में स्पष्ट कथन किया है कि पड़ौसी होने से उनका नरसीराम के घर आना जाना है। नरसीराम की पत्नी रेणु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी और चयन नही होने के कारण अवसादग्रस्त हो गई थी, जिस वजह से उसने स्प्रे पीकर आत्महत्या कर ली थी। नरसीराम व उसके परिवारवालों के द्वारा कभी भी रेणु को दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया।

16– साक्षी पी.ड.–8 सुनील जो मृतका रेणु का रिश्तेदारी में भाई है, ने भी अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से नरसीराम व उसके परिवार द्वारा रेणु को दहेज के लिये तंग परेशान करने के तथ्य से इंकार किया है तथा रेणु द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने व चयन नही होने के कारण अवसाद में होने का कथन किया है।

17– साक्षी पी.ड.–9 दिनेश कुमार जो मृतका रेणु के पिता/परिवादी महावीर प्रसाद का रिश्तेदार है तथा परिवादी महावीर प्रसाद का घर पड़ौसी पी.ड.–10 मांगूराम ने नरसीराम द्वारा रेणु को दहेज के लिये तंग परेशान करने की वजह से रेणु द्वारा जहर पीकर आत्महत्या करने के तथ्य से अनभिज्ञता

जाहिर की है। अभियोजनपक्ष द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

18– परिवादी महावीर प्रसाद का पड़ौसी पी.ड.–14 वेदप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि नरसीराम ने दहेज के लिये रेणु को तंग परेशान नही किया। रेणु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी और चयन नही होने के कारण अवसाद में थी, इस वजह से रेणु ने आत्महत्या कर ली। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नही करने पर अभियोजनपक्ष द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

19– साक्षी पी.ड.–15 लक्ष्मणराम व पी.ड.–16 साहबराम ने फर्द सूरतहाल लाश एवं पंचनामा मृतका रेणु पर अपने–अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है। उक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि रेणु के शरीर पर कोई चोट का निशान नही था।

20– साक्षीगण पी.ड.–17 मुखराम व पी.ड.–18 गोपीराम जो अभियुक्त नरसीरा के गांव के रहने वाले हैं, ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त नरसीराम व उसके परिवार द्वारा रेणु को दहेज के लिये तंग परेशान करने की बात सुनने से स्पष्ट इंकार किया है तथा रेणु की मृत्यु खेत में स्प्रे करते समय स्प्रे चढ़ जाने के कारण होना स्वीकार किया है। साक्षीगण के कथनों से अभियोजन कहानी को कोई सहायता प्राप्त नही होने से अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

21– साक्षी पी.ड.–19 रामावतार मालखाना इंचार्ज है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकरण का वजह सबूत सील्ड व सुरक्षित हालत में मालखाना में जमा करने तत्पश्चात दिनांक–18.09.2023 को थानाधिकारी के निर्देशन पर उसके द्वारा उक्त जमाशुदा वजह सबूत मय चिट्ठी कागजात शैलेन्द्र कुमार कानि0 को सुपुर्द कर उसे एफएसएल के नाम अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिये एसपी कार्यालय श्रीगंगानगर भेजने, दिनांक–30.09.2023 को शैलेन्द्र कुमार

कानि0 द्वारा एफएसएल बीकानेर में वजह सबूत जमा करवाकर रसीद उसके सुपुर्द करने, जिसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में कर रसीद जांच अधिकारी के सुपुर्द करने सम्बंधी कथन किये है। इस प्रकार पत्रावली पर ऐसी कोई सुदृढ़, विश्वसनीय व अखण्डनीय साक्ष्य उपलब्ध नही है जो अभियुक्त पर आरोपित आरोप को साबित करती हो।

22– पूर्वोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक के तर्क बलपूर्ण प्रतीत नही होते है। आपराधिक विधिशास्त्र का एक सुनहरा नियम है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है जिनसे अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जा सके। अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसके समग्र परिशीलन से व उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रकरण में विनिश्चित अवधार्य बिंदुओं का निष्कर्ष नकारात्मक प्राप्त होता है। अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त नरसीराम ने परिवादी महावीर की पुत्री/मृतका रेणु, जिसका विवाह अभियुक्त के साथ परिवादी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत करने की दिनांक–02.07.2023 से दो वर्ष पूर्व होने के पश्चात् से लेकर दिनांक–01.07.2023 से पूर्व तक अभियुक्त के रिहायशी मकान चक 2 केएसएम ढाणी गांव बान्डा पुलिस थाना अनूपगढ़ में मृतका रेणु से दहेज में एक लाख रूपये नकद व मोटरसाईकिल की माँग को लेकर उसे तंग, परेशान कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो तथा अभियुक्त नरसीराम के रिहायशी मकान में अभियुक्त की पत्नी रेणु जिसका विवाह अभियुक्त के साथ परिवादी महावीर द्वारा प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक–02.07.23 से सात वर्ष के भीतर हुआ था और जिसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न कीटनाशक पीने से दहेज की मांग को लेकर परेशान किये जाने के कारण और अभियुक्त द्वारा किये गये निर्दयतापूर्वक व्यवहार के कारण दिनांक–01.07.2023 को कारित हुई हो

अथवा दिनांक–01.07.2023 को किसी समय, वाके अभियुक्त के रिहायशी मकान में अभियुक्त ने अपनी पत्नी/परिवादी की पुत्री रेणु की मृत्यु कारित करने के आशय से मृतका रेणु को कीटनाशक पिला दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई हो।

23– **<u>विचारणीय बिंदु संख्या–3</u>**

चूंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त नरसीराम के विरूद्ध विचारणीय बिंदु संख्या–1 व 2 संदेह से परे साबित नही कर पाया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी प्रकार के दण्ड निर्धारण का औचित्य शेष नही रहता है। लिहाजा अभियुक्त नरसीराम आरोपित अपराध के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

24– **<u>आदेश</u>**

परिणामस्वरूप अभियुक्त **नरसीराम पुत्र गोपीराम निवासी –2 केएसएम ढाणी गांव बान्डा पुलिस थाना–अनूपगढ़ जिला –श्रीगंगानगर** को अपराध धारा–498ए, 304बी विकल्प में धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

25– प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत दो टोप्स, तीन बाली स्वर्ण जैसी धातु की, एक पायल जोड़ी, एक बिछिया की जोड़ी, मंगलसूत्र चांदी जैसी धातु का जो हरी माला में पिरोई हुआ है, अपील नही होने की दशा में बाद गुजरने मियाद अपील प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर सुपुर्दगीदार को नियमानुसार लौटाया जाये। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत एक कांच की बोतल जिसमें हल्का पीला रंग का तरल पदार्थ भरा है, बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जाये। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त वजह सबूत का निस्तारण किया जाये।

26– अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, अभियुक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होने बाबत धारा–437 ए दं.प्र.सं. के तहत छः माह की अवधि के लिये बीस हजार रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश करे।

(अजय कुमार भोजक)
(अतिरिक्त कार्यभार)

27– निर्णय आज दिनांक–16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार भोजक)
(अतिरिक्त कार्यभार)

JYOTI KALRA
Steno Gr. I "Authenticate document" Digitally signed by JYOTI KALRA Date: 2026.03.18 16:14:04 +0000